बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या :FSC/180/2018-245(15बी) /स्वा० पटना/दिनांकः- 14-07-2026

आदेश

भारतीय खाद्य सरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा बिहार राज्य को 05 चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन उपलब्ध कराया गया है, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थो की जॉच, खाद्य व्यापारियों का प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उक्त 05 वाहनों मे से 01 वाहन पटना प्रमडल अन्तर्गत संयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 को तथा 04 चार चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन विभाग स्तर से निम्नवत् प्रमंडलवार आवंटित है :–

क्रम संख्या	आवंटित प्रमंडल	संबंद्ध जिला
1.	भागलपुर प्रमंडल	भागलपुर, बांका एवं मुंगेर
2.	तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर)	मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं सारण
3.	पूर्णियॉ प्रमंडल	पूर्णियॉ, किशनगंज, कटिहार एवं अररिया
4	मगध प्रमंडल (गयाजी)	गयाजी, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद एव अरवल

2. उक्त वाहनो के सचालन हेतु एक विस्तृत मार्गदर्शिका विभागीय आदेश ज्ञापाक–1328(15), दिनाक–27.11.2020 से निर्गत है। विभागीय निदेश के आलोक मे अस्थायी व्यवस्था के तहत् वर्त्तमान में उक्त चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहनों का सचालन राज्य सरकार के जिला स्तरीय कर्मियों के माध्यम से प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना तथा प्रमंडलीय मुख्यालय जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कराया जा रहा है।

3. विभाग को प्राप्त सूचनानुसार वर्त्तमान में केवल पटना प्रमंडल (पटना) अन्तर्गत आवंटित चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन का सचालन नियमित रूप से सर्वे खाद्य नमूना के विश्लेषण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 04 प्रमंडलीय मुख्यालय जिलों को आवंटित चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन का संचालन आवश्यक तकनीकी मानवबलों एव चालक की कमी के कारण संचालन नहीं हो रहा है।

4. जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहनों के नियमित सचालन हेतु आवश्यकता आधारित तकनीकी मानवबलों तथा वाहन चालकों की सेवा आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी० एल०, पटना से अनुरोध किया गया था। तदालोक में निगम से प्राप्त सूचनानुसार कुल–(10) दस मानव प्रदाता एजेन्सियो का चयन जिलावार किया गया है, जिसकी सूचना सभी स्वास्थ्य सस्थानो को प्रेषित है। अतएव कार्यहित में बी०एम०एस०आई०सी० एल०, पटना द्वारा जिलावार आवंटित एजेन्सी के माध्यम से चलंत खाद्य प्रयोगशाला का संचालन पूर्णतः आउटसोर्स के आधार पर कराये जाने का निर्णय विभाग स्तर पर लिया गया है।

5 उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना, असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एव पूर्णियॉ को निदेशित है कि निगम के पत्रांक–9636, दिनांक–16.02.2024 तथा पत्रांक–10330, दिनांक–28.02.2024 के आलोक मे सबधित जिलो हेतु चयनित मानव प्रदाता एजेन्सियों से अनुबंध कर, निम्नवत् अर्हत्ता एव निर्धारित मानदेय के अनुसार आवश्यकता आधारित तकनीकी मानवबलों तथा वाहन चालको की सेवा आउटसोर्स के आधार पर लेना सुनिश्चित करेगे :–

क्रम संख्या	पद का नाम	आवश्यक मानवबल प्रति वाहन	शैक्षणिक अर्हता	निर्धारित मानदेय (As per FSSAI Guidelines)
1	लैब तकनीशियन / खाद्य विश्लेषक	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या बॉयो केमिस्ट्री या माइक्रोबॉयोलॉजी या डेयरी केमिस्ट्री या फुड टेक्नोलोजी या फुड एण्ड न्यूट्रिशन में मास्टर्स डिग्री अथवा डेयरी / ऑयल में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अथवा वेटनरी साइन्स में डिग्री अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एव अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अर्हता।	25000 प्रतिमाह
2.	सहायक / परिचारी	01	कम–से–कम विज्ञान में इन्टरमीडिएट या उससे उपर मुख्य विषय के रूप में विज्ञान होना चाहिए।	10000 प्रतिमाह
3	वाहन चालक	01	वैद्य वाणिज्यिक ड्राइविंग लाईसेंस के साथ कम–से–कम मैट्रिकुलेट	20000 प्रतिमाह

6. <u>**कर्मियों का प्रशिक्षण**</u> :– चयनित कर्मियों को संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना मे 15 दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सयुक्त खाद्य प्रयोगशाला, अगमकुऑ, के प्रभारी पदाधिकारी एवं खाद्य विश्लेषको द्वारा किया जायेगा, ताकि वे FSSAI के मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों का विश्लेषण एवं खाद्य व्यापारियों का प्रशिक्षण आयोजित करा सके।

7. <u>**कर्मियों की प्रतिनियुक्ति**</u>:– प्रशिक्षण के समापन के पश्चात् प्रशिक्षित कर्मियो को चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन पर प्रतिनियुक्ति करने की कार्रवाई सबंधित जिला के

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी, सयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना द्वारा किया जायेगा।

8 **वाहन का संचालन** :– उक्त चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहनों को महीना में 25 दिन अर्थात् वर्ष मे 300 दिन निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार संचालित कराया जायेगा –

क्रम सख्या	आयोजित किये जाने वाले कार्य	निर्धारित लक्ष्य प्रति माह / प्रति वाहन
1.	खाद्य नमूनों का जॉच / विश्लेषण	250
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	10
3	जन–जागरूकता कार्यक्रम	10

उक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वाहनों का संचालन संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, सयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, पटना द्वारा सबंधित जिलों में कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारी / सहायक अभिहित अधिकारी / अभिहित अधिकारी के सहयोग से कराया जायेगा। वाहन के संचालन के दौरान खाद्य संरक्षा से संबंधित Branding एवं Signage वाहन के बाहर प्रदर्शित किया जायेगा।

9. **प्रतिवेदन प्रेषित करने की कार्रवाई** :– चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन द्वारा आयोजित कराये जाने वाले सभी प्रकार के गतिविधियों से सबधित प्रतिवेदन FSSAI, नई दिल्ली के ऑनलाईन पोर्टल (fsw.fssai.gov.in) पर अपलोड करने की कार्रवाई सबंधित जिला के खाद्य सरक्षा अधिकारी / सहायक अभिहित अधिकारी / अभिहित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा एव प्रत्येक माह के 05 तारीख तक निम्नवत् प्रपत्र में भी रिपोर्ट खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा :–

State – Bihar

Progress for the Month of .... **Division- ....**

FSW Registration No:- ....

Sr.No	Food Category	Food Product	No. of Samples Analysed	Test Results		Fee Collected (In INR)	
				Pass	Fail		

10 **कर्मियों पर नियंत्रण एवं मानदेय भुगतान की व्यवस्था** :– चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन पर प्रतिनियुक्ति सभी तकनीकी कर्मी / चालक संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा अभिहित अधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मानदेय का भुगतान प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना तथा संबधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जायेगा। मानदेय के भुगतान हेतु एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्र को सत्यापित करते हुए खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके भुगतान की कार्रवाई सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

11. **वाहन के संचालन, रख–रखाव, मरम्मति एवं मानदेय के भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था** :– चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के संचालन, रख–रखाव, मरम्मति हेतु सबंधित

जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना को प्राधिकृत किया जाता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के संचालन हेतु MOU–2025–26 के अंतर्गत 13,000,00/–(तेरह लाख) प्रति वाहन की दर से 05 वाहनों के लिए कुल–65,000,00/–(पैसठ लाख) रुपये का प्रावधान किया गया है। उक्त राशि का उपयोग चलंत खाद्य वाहन के सचालन हेतु आउटसोर्स के आधार पर मानवबलों की नियुक्ति व मानदेय के भुगतान, ईधन एव रसायन की आपूर्त्ति तथा वाहनों के रख–रखाव व मरम्मति पर किया जायेगा। यदि पूर्व के वित्तीय वर्षों या वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहनों के रख–रखाव, मरम्मति एव ईधन पर किसी भी प्रकार का व्यय संबंधित सिविल सर्जन/प्रभारी पदाधिकारी, सयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 द्वारा किया गया है, तो तत्सबधी विपत्र खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय, इसके भुगतान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया जायेगा। मानवबलों के चयन/पदस्थापन के पश्चात् वाहन के रख–रखाव, मरम्मति, ईंधन एवं मानदेय के भुगतान के संबध मे भविष्य मे भी वही व्यवस्था लागू रहेगी, जो वर्त्तमान परिपेक्ष्य में लागू है।

12. <u>उक्त योजना के क्रियान्वयन की अवधि</u> :– उक्त चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के संचालन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा राशि का प्रावधान MOU के अन्तर्गत किया जाता है। चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन मद मे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जब तक राशि उपलब्ध करायी जा रही है, तब ही तक वाहन का संचालन आउटसोर्स के आधार पर किया जा सकेगा। राशि की प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मियो की सेवा सबधित एजेन्सियो को तत्काल वापस करते हुए वाहन के संचालन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जायेगा। **तत्काल यह व्यवस्था सितम्बर, 2026 तक लागू रहेगी।**

13. उक्त के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला–2026 को ध्यान मे रखते हुए सिविल सर्जन, गयाजी, भागलपुर, पूर्णियॉ, मुजफ्फरपुर एव प्रभारी पदाधिकारी, खाद्य प्रयोगशाला को निदेशित है कि चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के मरम्मति व रख–रखाव का कार्य 15 जुलाई, 2026 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई विभागीय निदेशानुसार शीघ्र पूर्ण करेंगे। यदि किसी कारण से श्रावणी मेला के पूर्व तक नियुक्ति प्रक्रिया व कर्मियों का प्रशिक्षण संभव नही हो पाता हो तो ऐसी स्थिति में तत्काल केवल मेला अवधि तक के लिए जिला मे कार्यरत लैब टेक्निशियन (नियमित/संविदागत) व वाहन चालक (नियमित/संविदागत/आउटसोर्स) की प्रतिनियुक्ति चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन पर अपने स्तर से करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त ईंधन, रसायन, ग्लासवेयर एव अन्य सबंधित सामग्री जो चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के संचालन हेतु अपेक्षित है, उन सभी सामग्रियो का क्रय करते हुए, तत्संबंधी विपत्रों खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। जिलों से प्राप्त होने वाले विपत्रों का भुगतान खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा जॉचोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

14 उक्त के अतिरिक्त चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के संचालन के संबध मे पूर्व से निर्गत सभी विभागीय आदेश इस हद तक सशोधित/उत्क्रमित समझा जायेगा। उक्त विभागीय आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति मे विभागीय सचिव/खाद्य सरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

15 उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

16 यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

(धनंजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 245 (15बी) पटना/दिनांक – 14-07-2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य सरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा–15बी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, पूर्णियॉ प्रमडल एवं भागलपुर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं पूर्णियॉ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं पूर्णियॉ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी/सभी खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना– 07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी/सभी सहायक अभिहित अधिकारी/सभी प्रभारी अभिहित अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।